संख्या:15/18/177(2)/छप्पन-2018-93/16

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 23 फरवरी, 2018

विषय :वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-38 के अधीन राजस्व पक्ष के इंगित मद से पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि के व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-810/ना0उ0नि0/लेखा/पुनर्विनियोजन/17, दिनांक 01 जनवरी, 2018 में किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत नीचे इंगित लेखा शीर्षक के सुसंगत मानक मद में हो रहे व्ययाधिक्य को वहन करने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल रूपये 4.00/- (रूपये चार लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति/पुनर्विनियोग की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय	धनराशि (लाख रूपये में)
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	1.00
15-मोटर गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	3.00
कुल योग (रूपये चार लाख मात्र)	4.00

2- उपर्युक्त धनराशि का पुनर्विनियोग शासन के पत्र संख्या-14/2018/177/छप्पन-2018-93/16, दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा करा लिया गया है।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-1 में इंगित मानक मद के नामे डाला जायेगा। उक्त धनराशि इंगित लेखा शीर्षक की "42-अन्य व्यय से पुर्नविनियोग के माध्यम से वहन किया जायेगा।

2/..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-96/दस-2018, दिनांक 22 फरवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 15/18/177(3)/छप्पन-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उपमहालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1 विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन-तीन प्रतियों सहित।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- सचिव, लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।